झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
एकादश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 22.03.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन स0वि0स0	झारखण्ड के अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) के अन्तर्गत आनेवाले बंगाली समुदाय के ताँती/तंतवा विद्यार्थियों को जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में काफी कठिनाईयाँ हो रही है, क्योंकि बंगाली समुदाय के जमीन के खतियान में ताँती/तंतवा जाति को बांग्ला भाषा में तन्तुवाई लिखा रहता है। अतः अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) के सूची में ताँती/तंतवा के साथ बांग्ला भाषा के तन्तुवाई को जोड़ा जाने के लिए सदन के माध्यम से ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
02-	डॉ0 सरफराज अहमद स0वि0स0	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-8/रा0-20/2004का0-6807, राँची दिनांक- 16.10.2007 के अनुसार झारखण्ड राज्य के धनबाद, गोड्डा, देवघर, साहेबगंज, गिरिडीह, लोहरदगा, हजारीबाग, गुमला, पलामू, राँची, दुमका तथा सिंहभूम जिलों में उर्दू का प्रयोग द्वितीय राजभाषा के रूप में विनिर्दिष्ट राजकीय प्रयोजनों के लिए किया गया है जो दिनांक- 15.11.2000 से ही इस राज्य में प्रभावी है। झारखण्ड सृजन के बाद	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

01.	02.	03.	04.
		में अलग होकर बने सिमडेगा, सरायकेला-खरसांवा, लातेहार गढ़वा, चतरा, कोडरमा, बोकारो, जामताड़ा, पाकुड, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़ तथा खूँटी जिलों में भी उर्दू द्वितीय राजभाषा के रूप में दिनांक-15.11.2000 से ही प्रभावी है। ज्ञात हुआ है कि उर्दू का प्रयोग द्वितीय राजभाषा के रूप में राजकीय प्रयोजनों के लिए नहीं हो रहा है। उर्दू में दिए गये आवेदनों दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जाता है। साथ ही महत्वपूर्ण सरकारी नियमों विनियमों और अधिसूचनाओं का उर्दू में प्रकाशन नहीं होता है। अतः वर्णित विषय की ओर सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
03-	**श्री बिरंची नारायण स0वि0स0**	बोकारो इस्पात कारखाना (सेल) के निर्माण के समय वर्ष-1956-1982 तक सरकार द्वारा विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से 84 गाँव का तकरीबन 34 हजार एकड़ भूमि अधिग्रहण किया था एवं विस्थापित रैयतों से वादा किया गया था कि उनके जमीन के बदले उन्हें समुचित मुआवजा, पुनर्वास और संयंत्र के तमाम चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियोजित किया जाएगा। उस समय अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दर 2-3 रूपये प्रति डिसमिल की दर से दिया गया एवं जो विकसित पुनर्वास स्थल बनाने की बात की गई थी, जिसके अंतर्गत तमाम तरह की सुविधाएं यथा विद्यालय, अस्पताल, पीने की पानी की व्यवस्था, सड़क, बिजली, धार्मिक स्थल, युवाओं के खेलकूद एवं समुचित विकास की व्यवस्था, इत्यादि की व्यवस्था बनाना था, लेकिन आज तक इस प्रकार का विकसित पुनर्वास स्थल का निर्माण नहीं हो पाया तथा संयंत्र द्वारा इसके सभी चतुर्थ वर्गीय पदों को विस्थापितों के लिए आरक्षित कर उनको नियोजन देने का वादा किया गया था, लेकिन समय के साथ तमाम चतुर्थ वर्गीय-	**राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार**

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		पर्दों को प्रबंधन द्वारा धीरे-धीरे समाप्त कर आउटसोर्सिंग द्वारा काम कराया जा रहा है और उस समय जिन किन्हीं को भी नियोजन दिया गया था वह आज सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनकी पुनर्वास की स्थिति तो और अधिक भयावह है, कुछ ग्रामीणों को अविकसित पुनर्वास स्थल मुहैया कराया गया था और करीब 20 गाँव के लोग जिन्हें विकसित पुनर्वास स्थल मुहैया नहीं कराया गया वे लोग अपने गाँव में मूल स्थान पर रहने को मजबूर है, जिन्हें आज न ही पंचायत की सुविधा मिली है और न ही किन्हीं सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ इनको मिल पा रहा है, न इनको शुद्ध पेयजल मिलता है, न ही विद्यालय और अस्पताल की सुविधा ही मिल पाई है, वर्तमान में इनके बच्चों का ऑनलाईन जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र और आय प्रमाण-पत्र क्यूआर कोड सहित बनना बंद हो गया है, जिससे इनके बच्चे न तो कहीं दाखिला ले पा रहे हैं न ही किसी सरकारी योजना का लाभ और न ही छात्रवृत्ति एवं चिकित्सा हेतु अप्लाई ही कर पा रहे हैं और न ही सरकारी नौकरी के लिए अहर्त्ता प्राप्त कर पा रहे हैं। जिन पुनर्वासित लोगों को पुनर्वास स्थल पर 10 डिसमिल जमीन मिला भी है, वो परिवार के साईज से बहुत ही छोटा है, जहाँ उनका गुजर-बसर एवं जीविकोपार्जन संभव नहीं हो पा रहा है। बोकारो इस्पात संयंत्र के अलावा कोल इंडिया की दो युनिट, बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, डीभीसी, टीवीएनएल जैसे दर्जनों बड़ी योजनाएं झारखण्ड में संचालित है, जिनके निर्माण हेतु हुए भूमि अधिग्रहण से लाखों परिवार विस्थापन के दंश को झेल रहे हैं? जिनका आज तक समुचित पुनर्वास नहीं है।	

01.	02.	03.	04.
		अतएव सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग करता हूँ कि, सरकार यथाशीघ्र विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन कर उक्त मामलों की समीक्षा कर इन लाखों विस्थापित परिवारों को समुचित मुआवजा, नियोजन और पुनर्वास प्रदान करें।	
04–	**श्री रामदास सोरेन स0वि0स0** **श्री निरल पुरती स0वि0स0**	राज्य के 24 जिलों में से 13 अनुसूचित जिलों एवं 134 अनुसूचित प्रखंडों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में संविधान की अनुच्छेद–244 (1) अन्तर्गत पाँचवी अनुसूची के तहत् अधिसूचित की गई है तथा पाँचवी अनुसूची के उपबन्ध में किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही–साथ, पाँचवी अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार आदिवासियों की संस्कृति, भाषा, जीवन शैली और अधिकारों को राज्यपाल की निगरानी में संवैधानिक संरक्षण दिया गया है तथा पाँचवी अनुसूची से संबंद्ध कर पेसा कानून–1996 का प्रावधान कर रूढ़ीवादी प्रथा एवं ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद–244 (1) के अन्तर्गत पाँचवी अनुसूची के तहत् अधिसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को उनकी जल–जंगल–जमीन के साथ–साथ जान–माल को सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। परन्तु पाँचवी अनुसूची के तहत् अधिसूचित जिलों में स्थित विभिन्न प्रखंडों के ग्रामीण अंचलों में अनुसूचित जनजातियों के बीच व्यवसायिक गतिविधियों यथा कल–कारखानों की स्थापना, आवासीय कॉलोनी की स्थापना एवं सी0एन0टी/एस0पी0टी0 एक्ट से मुक्त भूखण्ड दिखाते हुए आवासीय भूखण्ड बनाकर बेचने के पूर्व ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के साथ–साथ सामाजिक प्रभावों का मुल्यांकन (SIA) का अध्ययन कराकर रिपोर्ट को सार्वजनिक किये बिना ऐसे कार्यों का संचालन हो रही–	**राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार**

01.	02.	03.	04.
		है जो आदिवासियों के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनहित में उक्त मामले पर आकृष्ट कराना चाहूँगा।	
05-	श्री नारायण दास स0वि0स0	"देवघर जिला सहित संथाल परगना प्रमण्डल में विभिन्न प्रकार की प्रकृति वाले जमीन है, उनमें से एक लखराज प्रकृति की भूमि भी उपलब्ध है। विशेषकर विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योर्तिलिंग बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर के आस-पास के क्षेत्र लखराज प्रकृति की जमीन पर बसा है। लखराज प्रकृति की जमीन उसे कहतें है, जो लगान मुक्त है पूर्व काल में राजाओं, जमींदारों द्वारा जिन जमीनों के लगान माफ किये जाते थे, उन्हें ही लखराज जमीन कहा जाता है। यह पूर्णतया बसौड़ी और हस्तांतरण होने वाली जमीन है। अंग्रेजों के समय से ही इनका निबंधन होते आया है। लगान मुक्त होने के कारण लोग LRDC के पास आवेदन देते थे और उनके द्वारा सुनवाई पश्चात् इसके लगान का निर्धारण कर संबंधित क्षेत्र के अंचलाधिकारी को आदेशित कर निबंधन-2 में दर्ज कर लिया जाता था, परन्तु कुछ वर्षो से इसके हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई है, परन्तु कुछ समय पूर्व एक अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी ने लगान धार्य भी किया और संबंधित लोगों का निबंधन भी कराया। तदुपरान्त कुछ वर्षो से इसके हस्तांतरण पर पूर्णतः रोक लगा दी गई, जो यहाँ के जमीन धार्य करने वाले और जमीन पर आवासित लोगों को हस्तांतरण में कठिनाईयाँ हो रही है जिसे पुनः हस्तांतरण व निबंधन योग्य कराया जाना राज्य हित में होगा"	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		अतः सदन के माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि देवघर जिला सहित संथाल परगना प्रमण्डल अन्तर्गत पाये जानेवाले लखराज प्रकृति की भूमि को पूर्व की भाँति हस्तांतरण व निबंधन करायी जाय, जिस हेतु मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	

राँची,
दिनांक- 22 मार्च, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2023-1490/वि0 स0, राँची, दिनांक-21/03/23

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/03/2023
(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2023-1490/वि0 स0, राँची, दिनांक-21/03/23

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

21/03/2023
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

21/03/23